संख्या–2760/69–1–14–14(31)/2012टीसी–II(बी–I)

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एंव गरीबी
उन्मूलन कार्यकम अनुभाग। लखनऊ : दिनांकः06जनवरी, 2015

विषयः– प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मोटर/बैटरी चालित रिक्शा योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–35/69–1–13–14(31)/2012टीसी दिनांक 24.01.2013 एवं संख्या–1283–69–1–14–14(31)/12टीसी–II(बी–I) दिनांक 26.06.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र दिनांक 24.01.2013 द्वारा प्रदेश के महानगरों एवं अन्य नगरीय इलाकों के साथ–साथ नगर पालिकाओं और नगर पंचायत क्षेत्रों में मानव चालित रिक्शे के स्थान पर मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक सिस्टम से बनाया गया रिक्शा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना अप्रैल, 2012 तक पंजीकृत रिक्शा चालकों के लिए आरम्भ की गयी थी। तत्पश्चात पत्र दिनांक 26.06.2014 द्वारा उक्त अवधि दिनांक 31.03.2013 तक बढ़ायी गयी थी।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत निर्धारित कट–आफ–डेट दिनांक 31.03.2013 को बढ़ाकर दिनांक 30.11.2014 किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

कृपया तदनुसार समयबद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
05/01/2015
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या–2760(1)/69–1–14 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, 20, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0, शासन।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0, शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), उत्तर प्रदेश।
9. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
10. सहायक वेबमास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. बजट समन्वयक/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।